विभागाध्यक्ष का पदनामः—   जिला विकास अधिकारी,फर्रूखाबाद।

सम्पर्क सूत्रः—   05692—234238

संवर्ग का नाम	कार्यरत
1	**2**
सहायक विकास अधि0 (ISB)	7
ग्राम विकास अधिकारी	58
आशुलेखक	2
प्रधान लिपिक	1
लेखाकार	0
स0लेखाकार	11
वरिष्ठ सहायक	4
वरिष्ठ लिपिक	15
कनिष्ठ लिपिक	15
कनिष्ठ लेखा लिपिक	8
कनिष्ठ लेखा लिपिक(NREP)	7
उर्दू अनुवादक	2
जीप चालक	5
दफतरी	1
पत्रवाहक	17
स्वीपर मुख्यालय	1
चौकीदार मुख्यालय	0
स्वीपर कम चौकीदार	7
स0ले0(IRD)	1

01—राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम

राष्ट्रीय बायोगैस योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है। जिसका क्रियान्वयन देश के समस्त राज्यों में किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत बायोगैस संयत्रों का निर्माण समय—समय जारी शासनादेश के अनुसार कराया जाता है। अनुसूचित जाति के लाभार्थी द्वारा बायोगैस संयत्र का निर्माण कराये जाने पर अनुदान के रूप में रू0 3,500—00 और सामान्य जाति के लाभार्थी द्वारा बायोगैस निर्माण कराये जाने पर रू0 2,700—00 दिया जाता है। साथ ही बायोगैस संयत्र के साथ यदि शौचालय का निर्माण कराया जाता है तो दोनो प्रकार के लाभार्थियों को रू0 500—00 का अतिरिक्त अनुदान देय होता है।

02— ग्रामीण पेयजल योजना

इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुये लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु किया जाता रहा है कि ग्रामीण जनता को पेयजल की समस्या का निदान हो सकें। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में 150 की आवादी पर एक हैण्डपम्प साथ ही एक हैण्डपम्प से दूसरे हैण्डपम्प की दूरी 75 मीटर बनाये रखने के भी निर्देश प्राप्त है। अम्बेडकर ग्रामों में 70 की आवादी पर हैण्ड पम्प लगाया जाता है)

03— महामाया आवास योजना

महामाया आवास योजना मात्र अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को दिए जाते है। जिन लाभार्थियों के नाम वी0पी0एल सर्वे सूची में अंकित है,उन्ही पात्र व्यक्तियों को दिए जाते है एक आवास मु0 35,000—00 की लागत का है तो शत प्रतिशत अनुदान के रूप में है। शौचालय निर्माण हेतु रू0 1,500—00 प्रति आवास की धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर से निर्गत होती है।

04– अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना

परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक कार्यकलाप यथा– स्कूल बैग,बेकरी कार्य,चिकन/साडी बुनाई व छपाई,टेलरिंग,कास्ट शिल्प,मिट्टी बर्तन,लाउण्ड्री,हेयर सेलून,ट्रेक्टर पम्पिग सेट मरम्मत,इलेक्ट्रानिक सेवा व अन्य स्थानीय विशिष्टताओं के अनुसार स्वरोजगार इकाई स्थापित की जायेगी।

इस योजना के अन्तर्गत उक्त इकाईयों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होगें तथा कुल लक्ष्यों का 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किया जायेगा।

परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थी को रू0 10,000–00 एवं अन्य को रू0 7,500–00 अनुदान प्रोजेक्ट स्थापित होने के बाद देय है।

05–जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचनाये उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

जनपद स्तर पर जिला विकास अधिकारी,जनसूचना अधिकारी तथा मुख्य अधिकारी अपीलीय अधिकारी नामित है।

ग्राम पंचायतों में जनसूचना अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्रीय ग्राम पंचायत अधिकारी नामित है तथा उनके अपीलीय अधिकारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) नामित किये गये है। इस प्रकार विकास खण्ड स्तर पर सूचना प्राप्त करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी जन सूचना अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी अपीलीय अधिकारी नामित किये गये।

आवेदक द्वारा रू0 10–00 का पोस्टल आर्डर बनवाकर निर्धारित प्रारूप पर सूचनाये प्राप्त करने हेतु व रू0 2–00 प्रति पृष्ठ आवेदक द्वारा धनराशि जमा करने पर सूचनाये उपलब्ध का दी जाती है जिन आवेदक द्वारा वी0पी0एल0 कार्ड दर्शार्या जाता उन्हे शासन के निर्देशानुसार निशुल्क सूचनाये दी जाती है 30 दिन के अन्दर सूचनाये उपलब्ध न कराने पर सम्बन्धित के विरूद्व शासन के निर्देशानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

जिला विकास अधिकारी,
फर्रूखाबाद।